नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	T.R. No. 8/16 हुकुम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-19	पत्रावली पेश हुई। बहस अ०प० पत्र सुनी गई। वकील सायलान ने अपने प्रा० पत्र के अनुरूप बहस करते हुए निवेदन किया है कि विवादित भूमि ख०नं० 338, 340, 341, 342, 343 ग्राम रामसिंहपुरा सायल व गैर-सायलान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें भूमि पर कब्जे को लेकर आये दिन पक्षकारान में विवाद होता रहता है क्योंकि भूमि का अभी तक मौरूस एवं बाइहकम के आधार पर विभाजन नहीं हुआ है इसलिए जब तक भूमि का मौरूस एवं बाइहकम के आधार पर भूमि का विभाजन न हो तब तक विवादित भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे क्यों कि गैर सायलान आये दिन भूमि पर जबरन निर्माण करने व नींव खोदने की धमकी देते रहते है इसलिए गैर सायलान को पाबन्द किया जावे की वह बिना विभाजन विवादित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। वकील गैर सायलान ने अपने जवाब अनुसार बहस करते हुए बताया कि स्परान्त विवादित भूमि में सायलान का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है [illegible]। विवादित भूमि में गैर सायल सं० 2 लगायत 4 का 1/3 हिस्सा गैर सायल सं० 1 लगायत 11 का 1/3 हिस्सा तथा गणेश, हरिसिंह, कल्लू, बुधसिंह पुत्रान रामदेव प्रेम बाल्या व बालू का 1/3 हिस्सा है। सायलान ने बदनियती पूर्वक गणेश, हरिसिंह व कल्लू को, बुधसिंह को दावे में पक्षकार नहीं बनाया है एवं इसके अतिरिक्त ख०नं० 195 रकबा 1.90 हे० सम्पूर्ण तथा ख०नं० 194 रकबा 1.80	

पक्षकार प्रविष्ट है, तथा धौल क्रम नं 134, 195 का साबिक क्रम नं 98 मिन है। उक्त आराजी मिनजवाब डार एवं गणेश, धीरसिंह, कल्लू, इच्छासिंह के बाबा बाल्या पुत्र चेन्या को 25-5-1975 को आवंटित हुई थी। बाल्या पर सन् 73 से 75 के मध्य काफी कर्जा था जिसे बाल्या के पुत्र रामहेत, रामजीलाल व कन्हैया ने चुकाया तथा चौथे पुत्र घूडमल या उसके पुत्रान ने कोई कर्जा नही चुकाया जिसके बाबत सिविल न्यायालय में कर्ज का मुकदमा 73/1974 मोतीलाल V/S रामहेत चला जो दिनांक 19.12.75 को 2273/- रुपये अदायगी हेतु डिक्री हुआ और 200/- रुपये छः माही चुकाने की किश्त बंधी। रामहेत ने डिक्री दार मोतीलाल के पुत्र रामदयाल त्रिवेदी हाल को 200/- किश्त के दिनांक 14.5.76 को अदा किये जिसकी उन्होने रसीद दी। और सायल रामहेत से 603/- रुपये का स्टाम्प बाल्या ने मंगवाया और अपनी वक्त आराजी साबिक क्रम नं० 98/2 व 155 की आराजी दिनांक 30.5.75 को अपने पुत्र रामहेत, रामजीलाल, गणेश पुत्र रामहेत को देदी इस प्रकार उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई ताल्लुक वास्ता नही है। प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वक्त पर मनन किया। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया विवादित आराजी पत्रावली मे प्रस्तुत फोटो प्रति जमाबन्दी संवत् 2069 से 72 मे पक्षकारान की शामिलात खातेदारी के आराजी के रूप मे दर्ज है जिसमें पक्षकारान के पृथक-पृथक हिस्से अंकित है। तथा पक्षकारान में आराजी पर कब्जे व निर्माण को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तथा सायल ने भी आराजी का

nyायनी
...ठन
...-1/17

बन्धू सिंह / रामहेत
TP No. 3/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर किये जाने तक कृषि भूमि को अकृषि भूमि के रूप में न बदले जाने के बावत् निषेधाज्ञा चाही है इसलिए प्रकरण में विवादित भूमि के संदर्भ में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखा जाना उचित प्रतीत होता है तथा इस संदर्भ में पक्षकारान भी सहमत है।	
	अतः प्रार्थना पत्र सायलान इस आशय का स्वीकार किया जाता है कि पक्षकारान विवादित भूमि ख0नं0 338 रकबा 0.38 है0, 340 रकबा 0.15 है0, व 341 रकबा 0.27 है0, 342 रकबा 0.32 है0, 343 रकबा 0.16 है0, ग्राम रामसिंहपुरा तहसील वजीरपुर के बावत् ता फैसला दावा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रपक्षकारान को इसी आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।	
	पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील शामिल मिसल रहे।	
	[illegible]	